रजिस्ट्री सं० डी (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 1974/माघ 18, 1895

No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 1974/MAGHA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Directorate of Film Festivals)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd February 1974

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

No. F-1/48/73-FFC/FFD.—In pursuance of rules 3 and 6 of the Rules concerning National Awards for Films Notified in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, Directorate of Film Festivals No. 1/2/73-FFC/FFD, dated the 2nd February, 1974 entries for the National Awards for Films are hereby invited in respect of the following categories of Indian films certified for public exhibition during the calendar year 1973:—

I. Films as Art

1. Best Feature Film of the year.
2. Best Feature Film on National Integration.
3. Best Children's Film of the year.

II. Films as Communication

4. Best Information Film (documentary)

5. Best Educational/Instructional Film.

6. Best Social Documentation Film (dealing with an objective analysis and presentation of a contemporary social problem).

7. (i) Best Commercial Promotional Film (Advertisement).

(ii) Best Promotional Film (Non-commercial).

III. **Special Short Films Category**

8. Best Experimental Film.

9. Best Animation Film.

2. The entries in respect of feature films as mentioned above as well as in other categories aay be made by the producer(s) or any other person(s) duly authorised by him (them) in this behalf, upto 9th March, 1974. The entries should be made in duplicate in the form prescribed in the schedule annexed to the Rules referred to above. The entry forms in respect of feature films and short films shall be accompanied by a treasury chalan of Rs. 100 in the case of films exceeding 1000 metres in length in 35 mm and 400 metres in 16 mm and of Rs. 50 in the case of film shorter in length than the above mentioned limit respectively. The above amount should be credited to Central Government Account under the Major Head "L.II-Miscellaneous".

3. Entries in respect of the various categories of films should be addressed to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Vigyan Bhavan Annexe (Room No. 392), New Delhi.

The prints will be delivered at such place as and when advised by the Directorate of Film Festivals.

4. All entries will be accompanied by 5 copies each of the synopsis complete with cast and the script in the language of the film, together with 40 copies of English or Hindi rendering thereof; and 5 copies of the songs, if any, in the language of the film, together with their 40 copies of free translation in English or Hindi and 6 stills with the relevant publicity material in addition to the print at the cost of the entrant.

5. Copies of Rules for National Film Awards and Entry Forms can be had from the following:—

1. Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Room No. 392, Vigyan Bhavan Annexe, New Delhi.

2. The Regional Officer, Central Board of Film Censors, 91-Walkeshwar Road, Bombay-6.

3. The Regional Officer, Central Board of Film Censors, 35-Haddows Road, Nungambakkam, Madras-6.

4. The Regional Officer, Central Board of Film Censors, 8-Esplanade East, 1st Floor, Calcutta-1.

6. The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the award shall be 3,400 metres in 35 mm or 1,360 metres in 16 mm. The maximum length of a film to be entered under the broad categories "Film as Communication" and "Special Short Films Category" shall be 1000 metres in 35 mm or 400 metres in 16 mm except in the case of Information Film (Documentary). A film entered as a children's film will not be eligible for entry as a feature film or *vice-versa*.

JAGAT MURARI, Director.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(फिल्म समारोह निदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1974

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सं० एफ० 1/48/73—एफ० सी०/एफ० एफ० डी०.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए फिल्म समारोह निदेशालय के संकल्प संख्या 1/2/73-एफ० एफ० सी०/एफ० एफ० डी० तारीख फरवरी, 1974 में अधिसूचित फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों संबंधी नियमावली के नियम 3 और 6 के अनुसार, फिल्मों के लिए पुरस्कारार्थ प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रविष्टियां 1973 के कैलेंडर वर्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रभाणित की गई निम्नलिखित श्रेणियों को भारतीय फिल्मों के संबंध में ही भेजी जा सकेंगी :—

(1) **फिल्म कला के रूप में**

(1) वर्ष की सर्वोत्तम फीचर फिल्म ।

(2) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म ।

(3) वर्ष की सर्वोत्तम बाल फिल्म ।

(2) **फिल्म सूचना साधन के रूप में**

(4) सर्वोत्तम सूचना फिल्म (डाकुमेन्ट्री) ।

(5) सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म ।

(6) सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म (जो समकालीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण तथा उन का निष्पक्ष विश्लेषण करती हो) ।

(7) (i) सर्वोत्तम व्यवसाय प्रेरक फिल्म (विज्ञापन) ।

(ii) सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक)

(3) **विशेष प्रकार की छोटी फिल्में**

(8) सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म ।

(9) सर्वोत्तम कार्टून (एनीमेशन) फिल्म ।

2. उपरि उल्लिखित फीचर फिल्मों तथा अन्य श्रेणियों की फिल्मों के बारे में प्रविष्टियां निर्माता (निर्माताओं) या उस (उन) द्वारा विधिवत् अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा 9 मार्च, 1974 तक भेजी जा सकती हैं। प्रविष्टियां उपरि निर्दिष्ट नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में दिए गए फार्म में, दो प्रतियों में, भेजनी चाहिए। 35 मि० मी० में 1000 मीटर और 16 मि० मी० में 400 मीटर से अधिक लम्बी फीचर फिल्मों और छोटी फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि फार्म के साथ 100/- रुपये की और इस से कम लम्बाई की फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि फार्म के साथ 50/- रूपये की ट्रेजरी रसीद भी भेजनी चाहिए। उक्त राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में मुख्य शीर्ष "एल-2-मिसलेनियस" के अन्तर्गत जमा करवानी चाहिए ।

3. विभिन्न श्रेणियों की फिल्मों के बारे में प्रविष्टियां निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान भवन एनेक्स (कमरा नं० 392), नई दिल्ली के पास भेजनी चाहिए ।

प्रिन्टें फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा बताए गए स्थानों पर भेजनी होंगी ।

4. सभी प्रविष्टियों के साथ प्रवेशक को अपने खर्चे पर कलाकारों की सूची सहित फिल्म की प्रिन्ट के अतिरिक्त, फिल्म की भाषा में उस के कथासार तथा स्क्रिप्ट की 5 प्रतियां, जिनके साथ उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की 40 प्रतियां भी होंगी, तथा फिल्म की भाषा में गीतों, यदि हों, की 5 प्रतियां जिनके साथ उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की 40 प्रतियां भी होंगी, तथा 6 फोटो और फिल्म से सम्बन्धित प्रचार सामग्री भी भेजनी होगी ।

5. फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की नियमावली तथा प्रविष्टी फार्मों की प्रतियां निम्न-लिखित से प्राप्त की जा सकती हैं :—

(1) फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय विज्ञान भवन एनेक्स, कमरा संख्या 392, नई दिल्ली ।

(2) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 91—वालकेश्वर रोड, बम्बई—6

(3) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 35 हैडोस रोड, नुगम-बक्कम, मद्रास—6.

(5) प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, फर्स्ट फ्लोर, कलकत्ता—1

6. पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिए बाल फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1,360 मीटर होगी । सूचना फिल्म (डाकुमेंट्री) के मामले को छोड़कर "फिल्म सूचना सारत" के रूप में" तथा "विशेष प्रकार की छोटी फिल्मों" की श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्टि होने वाली फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 1000 मीटर या 16 मि० मी० मीटर में 400 मीटर होगी । बाल फिल्म के रूप में प्रविष्ट फिल्म फीचर फिल्म के रूप में और फीचर फिल्म के रूप में प्रविष्ट फिल्म बाल फिल्म के रूप में प्रविष्ट नहीं हो सकेगी ।

जगत मुरारी, निदेशक

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd February 1974

NATIONAL AWARDS FOR FILMS, 1973

No. 1/2/73-FFC/FFD.—In supersession of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1/2/73-FFC, dated the 17th February, 1973 as amended by Resolution No. F. 1/2/73-FFC, dated the 19th April, 1973, the following Rules are notified for regulating the National Awards for Films:—

1. These Rules shall be called Rules for the National Awards for Films.

2. The object of these awards is to encourage the production of films of high aesthetic and technical standard and of social, educational nd cultural values.

3. The following categories of awards will be available under these rules.

I. Films as Art

(a) (i) *Award for the National Best Feature Film*

President's Gold Medal for the National best feature film of the year and a cash prize of Rs. 40,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 15,000 to the director.

(ii) *Award for the second National Best Feature Film*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 15,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the director.

(iii) *Special Award for the Best Feature Film on National Integration*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 30,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the director.

(iv) *Award for the Best Feature Film in each regional language*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the director of the best feature film in each language *viz.*,

– Hindi (including Urdu, Hindustani and connected dialects like Bhojpuri, Rajasthani and Maithili); Marathi (including Konkani); Gujarati; Punjabi; Kashmiri; Sindhi and English.

— Bengali, Assamese, Oriya and Manipuri.

— Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam.

(b) *Award for Excellence in Direction*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 20,000 to the best director of the year.

(c) *Award for Excellence in Cinematography (Black and White)*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the best Cameraman of a black & white film.

(d) *Award for Excellence in Cinematography (Colour)*

Silver Medal and a cash prize of Rs 5,000 to the best Cameraman of a colour film.

(e) *Best Actor of the Year Award*

"BHARAT AWARD" in the form of a figurine to the best actor.

(f) *Best Actress of the year Award*

"URVASHI AWARD" in the form of a figurine to the best actress.

(g) *Best Child Actor/Actress of the year Award*

Silver Medal to the best child actor or actress who is not more than 16 years in age.

(h) *Best Male play-back Singer of the year Award*

Silver Medal to the best male play-back singer.

(i) *Best Female play-back singer of the year Award*

Silver Medal to the best female play-back singer.

(j) *Best Music Director of the year Award (An Award to recognise originality of Score.*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the best music director.

(k) *Best Screenplay of the year Award*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the best script writer.

(l) *For best story of the year Award*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the best story writer.

(m) *Best Lyric for the year Award*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the author of the best film song on the theme of national integration.

(n) *Best Children's Film of the year Award*

Gold Medal and a cash prize of Rs. 15,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 10,000 to the director.

II. **Film as Communication**

(a) *Best Information Film (Documentary)*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000 to the director.

(b) *Best Educational/Instructional Film*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000 to the dirtctor.

(c) *Best Social Documentation Film (Dealing with an objective analysis and presentation of a contemporary social problem)*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000 to the director.

(d) *Best Commercial promotional Film (Advertisement)*

A Silver Medal each to the producer and the director.

(e) *Best Promotional Film (Non-commercial)*

(For the best promotional film on subjects of national importance *e.g.* National Integration; social justice; co-operation; savings; Dynamics of Development including agricultural practices, etc.).

A Silver Medal each to the producer and the director.

III. **Special Short Films Category**

(a) *Best Experimental Film*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000 to the director.

(b) *Best Animation Film*

Silver Medal and a cash prize of Rs. 5,000 to the producer and a Silver Medal and a cash prize of Rs. 4,000 to the director.

IV. **Dadasaheb Phalke Award**

(Special award for outstanding contribution to the cause of Indian cinema).

Gold Medal, a cash prize of Rs. 20,000 and a shawl.

Explanation.—The term, "Producer"; "director"; "cameraman"; "actor"; "actress"; "child actor/actress"; "play-back singer"; "music director"; "screen-play writer"/ "script writer"; "story writer"; and "lyric writer" used in these rules will be construed as referring to the "producer" "director", "cameraman", "actor", "actrtss", "child actor/actress", "play-back-singer", "music director", "screen-play writer"/ "script writer"; "story writer" and "lyric writer", as the case may be, as given in the credit titles of the film entered in the competition duly certified by the Central Board of Film Censors.

4. (a) No award will be given to the producer or director of a film in a category for which the number of entries received is less than two.

(b) Government may, at its discretion, give the cash prize in the form of National Savings Certificate or any other similar certificate issued by the Government of India.

(c) The producer of a feature film produced in a language other than Hindi which wins an award under category 1(a) of Rule 3 will be granted by the Central Government an additional sum of Rs. 3,000 on his getting that film sub-titled in Hindi.

5. All Indian films certified for public exhibition by the Central Board of Film Censors in the preceding calendar year will be eligible for entry. A declaration to that effect shall be made by the producer or any other duly authorised person in the form contained in the Schedule hereto annexed.

A film will be entered for awards only in one of the categories mentioned under Rule 3 viz., the best feature film, the best national integration film, the best social documentation film, the best children's film, the best information film, the best educational/instructional film, the best promotional film, the best experimental film and the best animation film.

6. (a) Entries for the awards will be invited every year by a date to be specified by the Central Government in a notification to be published in the Gazette of India.

(b) Every application for entry shall be made on the form contained in the Schedule to these Rules and be accompanied by an entry fee of Rs. 100 in the case of films exceeding 1,000 metres in length in 35 mm and 400 metres in 16 mm and Rs. 50 in the case of films shorter in length than the above mentioned limit. This fee shall not be refundable.

(c) Each entrant will submit, at his cost to the Director, Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Vigyan Bhavan Annexe, Room No. 392, New Delhi or to any other authority as may be specified:—

(i) a print of the film as certified by the Central Board of Film Censors at the time and place indicated by such Regional Officer or authority;

(ii) 5 copies each of the synopsis and the script in the language of the film, together with 40 copies of English or Hindi rendering thereof; and 5 copies of the songs, if any, in the language of the film, together with their 40 copies of free translation in English or Hindi and 6 stills with the relevant publicity material.

(d) The decision of the Government of India whether a film is eligible to be entered for the awards and whether any film is a feature film, national integration film, children's film, information film, educational/instructional film, experimental film, social documentation film, promotional film, animation film for the purpose of entry for the awards, will be final.

(e) A film which is dubbed version, retake or an adaptation of a film, which has already been entered into a State/National Film Award Competition, instituted by the Central Government will not be eligible for consideration for award in any of the categories under Rule 3.I (a) (i) to (iv); 3.1 (k), (l) and (n) but would be eligible for award under categories pertaining to excellence in direction, cinematography, acting, play-back singing, music direction and lyrics, i.e., 3.I (b) to (j) and (m).

(f) Only one of the versions of a film, which is made in several languages, can be entered for award.

(g) The maximum length of a children's film for the purpose of entry for the award shall be 3.400 metres in 35 mm or 1,360 metres in 16 mm. The maximum length of a film to be entered under categories II and III of Rule 3 shall be 1,000 metres in 35 mm and/or 400 metres in 16 mm except in the case of information film (documentary).

(h) The last date of entry may be relaxed at the discretion of the Government of India in exceptional cases.

(i) No film which has not been entered for the National Awards will be considered eligible for these awards.

7. All transport costs on the consignment and return of the film and publicity material will be payable by the entrant.

8. All films will be submitted at the owner's risk and while the Government will take every reasonable care of the film submitted, it cannot accept responsibility for any loss or damage to the film while in its possession.

9. The awards will be decided by the Government on the recommendations of the National Jury for Feature Films and the National Jury for Short Films appointed by the Government. These Juries will make their recommendations to the Government.

10. The composition of the National Jury for Feature Films will be as follows:—

(a) A Chairman nominated by the Government; and

(b) not more than 24 persons, distinguished in the field of arts and humanities including film and qualified to judge the thematic and artistic merits of films including presentation, direction and technical values, nominated by the Government.

11. A panel of not more than 3 persons shall be constituted by the Chairman out of the members of the National Jury for Feature Films to examine films in each language. No separate panel shall, however, be constituted for a particular language if the number of entries in that language is less than three. The film(s), in that event, shall be grouped with another language of the region concerned having greater affinity with that language.

12. Each panel will recommend to the aforesaid National Jury for Feature Films not more than three films considered suitable for awards without indicating order of merit. If, however, in the opinion of the panel, a particular film excells over other films examined by it meriting consideration of awards meant for individual achievements under Rule 3.I (b) to (m), the particular category in that event may be specified along with the title of the film.

13. A special panel of not more than five members out of the members nominated on the aforesaid National Jury for Feature Films will be constituted by the Chairman for examination of films entered for Children's Film Award under Rule 3.I(n) and recommend to the aforesaid National Jury not more than three films, without indicating order of merit.

14. The National Jury for Feature Films will thereafter view all the films recommended by the various language panels and the panel for the Children's films and recommend films for various categories of awards under Rule 3.I.

15. **National Jury for Short Films.**—The National Jury for Short Films consisting of 5 members, including the Chairman, will be constituted by the Government for examination of entries under the categories of information films (documentary), educational/instructional films, social documentation films, promotional films, (commercial and non-commercial), experimental and animation films. The Jury shall make its recommendation to the Government direct.

16. Notwithstanding anything contained in rules 10 and 15 of these Rules, the Government may nominate on any of the two National Juries such number of additional members not exceeding 5 as may be considered necessary to ensure adequate representation of members, knowing each language in which films are adjudged or having specialised background.

17. Both the National Juries may determine their own procedure for the examination of films.

18. The quorum of the two National Juries shall not be less than half of the number of members nominated or present and voting.

19. The members of the two National Juries in addition to the travelling and daily allowance as admissible under the rules, shall also be entitled to receive consultancy fee @ Rs. 50 per day for attending the meetings/previews of films in connection with the National Films Award competition.

20. The Award for outstanding contribution to the cause of Indian Cinema under rule 3.IV of these Rules shall be decided by Government of India whose decision in the matter shall be final.

21. Nothing contained herein shall be construed as restricting the discretion of the National Jury for Feature Films and the National Jury for Short Films from making a recommendation that none of the films in a particular language or category or that none of the Screen-play Writer, Story Writer, Director, Cameraman, Actor, Actress, Child Actor, Play-back Singer, Music Director and Lyric Writer of the feature films examined by them is of a standard adequate for an award.

22. Government shall be entitled to retain one print of the film entered for the Awards and which receives an award. The cost of the print *viz.* the cost of raw material and processing charges, will be reimbursed to the producer, reimbursement being made only if a brand new print is made available.

23. If a person winning an Award for Excellence in Director also happens to be the director of a film winning award for the National Best Feature film or the Second best feature film or the Best Feature film on National Integration as also

for the Regional Awards, he will receive award only in one capacity, carrying a higher cash prize.

24. If the producer and the director of an award-winning film happens to be the same person and eligible for award in both capacities, he will be given an Award either as a producer or a director and not both.

25. The producer of the film entered for the Award shall have no objection to the screening of the film for the National Juries or for any of their panels, in public shows or for any other special screening that the Government may organise. The proceeds, if any, shall be credited to the Government revenues.

26. The members of both the National Juries shall treat the deliberations and recommendations of the Jury as confidential.

27. Canvassing in any form in respect of an entry will render that entry liable to be disqualified. Any member of the two National Juries found canvassing for a particular film is liable to be disqualified for membership of the Jury.

28. The decisions of the Government of India in respect of the Awards and of interpretation of these rules shall be final and no appeal shall lie against them.

29. The Awards will be made annually at a function for the presentation of the Awards which will be held at such place and on such dates as Government may determine.

30. A person who participates in the National Awards for Films under these Rules shall be deemed to have accepted these Rules.

SCHEDULE TO THE NATIONAL AWARDS FOR FILMS RULES

To

The Director,
Directorate of Film Festivals,
Vigyan Bhawan Annexe (Room No. 392),
New Delhi.

Entry for National Awards for Films

1. I wish to enter the following film for the National Awards for Films for the year 1973 :—

(*i*) *Title of the film* : _____

(*ii*) *Classification* :

Feature Children's documentary /Educational/Instructional/Social documentation/ Promotional (Advertisment)/ Promotional (non-commercial)/ Experimental/Animation films _____

(*iii*) Language of the film: _____

(*iv*) Length, gauge and running time of the films: _____

(*v*) Number of reels : _____

(*vi*) Black & White/Colour : _____

(*vii*) Classification of the film in the Censor Certificate: whether 'A' OR 'U' _____

(*viii*) Name and full address of the Producer (with telephone number and telegraphic address, if any) : _____

(*ix*) Name and full address of the Director :

(*x*) Name and full address of the story writer :

(*xi*) Name and full address of the screen-play writer/script writer :

(*xii*)(*a*) Name and full address of the leading male and female artists

(*b*) Name and full address of the child artist (if any) of an age not exceeding 16 years :

(*xiii*) Name & full address of the play back singer :

(*a*) Male singer :

(*b*) Female singer :

(*xiv*) Name and full address of the Cameraman :

(*xv*) Name and full address of the music Director : ——————————

(*xvi*) Name and full address of the lyric writer : ——————————

(*xvii*) Number and date of certificate of exhibition issued by the Central Board of Film Censors ; ——————————

(*xviii*) Date of release ——————————

(*xix*) If the film is a dubbed version an adaptation or a retake of another film particulars of the film of which it is a dubbed version, adaptation or retake : ——————————

2. I have read the rules governing these awards and agree to abide by the same.

3. I declare that I have been duly authorised by the producer of the film to make this entry (to be made in case the person making the entry is not the producer).

4. I certify that the film is not a dubbed version, a retake or an adaptation of a film which has already been entered earlier for a State/National Award and the print which is being submitted as entry is exactly in the form in which it has been certified by the Central Board of Film Censors.

5. I further certify that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Date :—————————— Signature :——————————

Place : —————————— Address :——————————

NOTE.—The information should be the same as given in the credit title of the film. The title of the film and names of producers, directors and technicians etc. should be given in English as well as Hindi.

JAGAT MURARI, Director.

संकल्प

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1974

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सं० 1/2/73—एफ० एफ० सी०/एफ० एफ० डी०.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/2/73—एफ० एफ० सी० तारीख 19 अप्रैल, 1973 के द्वारा संशोधित संकल्प संख्या 1/2/73—एफ० एफ० सी०, तारीख 17 फरवरी, 1973 का अधिक्रमण करते हुए, फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं :

1. इन नियमों को फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियम कहा जायेगा।

2. इन पुरस्कारों का उद्देश्य कलात्मक सौन्दर्य तथा तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तर की तथा सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है ।

3. इन नियमों के अन्तर्गत पुरस्कारों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :—

1. क फिल्म कला के रूप में

(1) राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार

वर्ष की राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और इसके निर्माता को 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा इसके निर्देशक को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(2) द्वितीय राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार

इसके निर्माता को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा इसके निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक

(3) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म को विशेष पुरस्कार

इसके निर्माता को 30,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा इसके निर्देशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(4) प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सर्वोत्तम फीचर फिल्म को पुरस्कार

प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अर्थात्

—हिन्दी (उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा भोजपुरी, राजस्थानी तथा मैथिली जैसी संबंधित बोलियों सहित), मराठी (कोंकणी सहित), गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, सिन्धी तथा अंग्रेजी ; —बंगला, असमिया, उड़िया और मणिपुरी ; —तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की सर्वोत्तम फीचर फिल्म के निर्माता को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक और निदेशक को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक ।

(ख) निदेशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार

वर्ष के सर्वोत्तम निर्देशक को 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक ।

(ग) सिनेमाटोग्राफी (ब्लैक एण्ड ह्वाइट) में उत्कृष्टता का पुरस्कार

सादी (ब्लैक एण्ड ह्वाइट) फिल्म के सर्वोत्तम कैमरामैन को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(घ) सिनेमाटोग्राफी (रंगीन) में उत्कृष्टता का पुरस्कार

रंगीन फिल्म के सर्वोत्तम कैमरामैन को 5000 रूपये का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक ।

(ङ) वर्ष के सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार

सर्वोत्तम अभिनेता को छोटी मूर्ति के रूप में 'भरत पुरस्कार'

(च) वर्ष की सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार :

सर्वोत्तम अभिनेत्री को छोटी मूर्ति के रूप में "उर्वशी पुरस्कार"।

(छ) वर्ष के सर्वोत्तम बाल अभिनेता/अभिनेत्री का पुरस्कार

सर्वोत्तम बाल अभिनेता या अभिनेत्री, जो 16 वर्ष से अधिक आयु का/की न हो, को एक रजत पदक ।

(ज) वर्ष के सर्वोत्तम पार्श्व गायक का पुरस्कार

सर्वोत्तम पार्श्व गायक को एक रजत पदक ।

(झ) वर्ष की सर्वोत्तम पार्श्व गायिका का पुरस्कार

सर्वोत्तम पार्श्व गायिका को एक रजत पदक ।

(ञ) वर्ष के सर्वोत्तम संगीत निदेशक का पुरस्कार

(यह पुरस्कार धनों की मौलिकता के लिए दिया जायेगा)।

सर्वोत्तम संगीत निदेशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक

(ट) वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार

सर्वोत्तम स्क्रिप्ट लेखक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(ठ) वर्ष की सर्वोत्तम कहानी का पुरस्कार

सर्वोत्तम कहानी लेखक को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक ।

(ड) वर्ष के सर्वोत्तम गीत का पुरस्कार

राष्ट्रीय एकता के विषय पर सर्वोत्तम फिल्म गीत के लेखक को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक ।

(ढ) वर्ष की सर्वोत्तम बाल फिल्म का पुरस्कार

निर्माता को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक तथा निर्देशक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(2) **फिल्म सूचना साधन के रूप में :**

(क) **सर्वोत्तम सूचना फिल्म (डाक्युमेन्ट्री)** : निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(ख) **सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म :**

निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(ग) **सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म (जो समकालीन सामाजिक समस्याओं को चित्रित करती हो और उनका निष्पक्ष विश्लेषण करती हो)**

निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(घ) **सर्वोत्तम व्यवसाय प्रेरक फिल्म (विज्ञापन) :**

निर्माता और निर्देशक को एक-एक रजत पदक ।

(ङ) **सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (अव्यावसायिक) :**

(राष्ट्रीय महत्व तथा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, सहयोग, बचत, कृषि कार्य सहित विकास की गति, आदि के विषयों पर सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म के लिए) निर्माता और निदेशक को एक-एक रजत पदक ।

(3) **विशेष प्रकार की छोटी फिल्में :**

(क) **सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म :**

निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक।

(ख) **सर्वोत्तम कार्टून (एनीमेशन) फिल्म ।**

निर्माता को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक तथा निर्देशक को 4,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक ।

(4) **दादा साहेब फाल्के पुरस्कार :**

(भारतीय सिनेमा के निमित विशिष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार)

20,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक शाल ।

स्पष्टीकरण.—यहां पर 'निर्माता', 'निर्देशक', 'कैमरामैन', 'अभिनेता', 'अभिनेत्री', 'बाल अभिनेता' । 'अभिनेत्री' 'पार्श्व गायक,' 'संगीत निर्देशक', 'स्क्रीन प्ले लेखक'। 'स्क्रिप्ट लेखक', 'कहानी लेखक ' तथा 'गीत 'लेखक शब्दों से अभिप्राय क्रमशः उस 'निर्माता', 'निर्देशक' 'कैमरामैन', अभिनेता' 'अभिनेत्री', 'बाल अभिनेता ' । 'अभिनेत्री ', 'पार्श्व गायक', 'संगीत निर्देशक,' 'स्क्रीन प्ले लेखक' 'स्क्रिप्ट लेखक ', 'कहानी लेखक ', और 'गीत

लेखक से होगा जिसके नामों का उल्लेख केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियोगिता में प्रविष्ट फिल्म के शीर्षकों में होगा।

4. (क) जिस श्रेणी की फिल्म की प्रविष्टियां दो से कम प्राप्त होंगी, उस फिल्म के निर्माता या निर्देशक को कोई पुरस्कार नहीं दिया जायगा।

(ख) सरकार चाहे तो नकद पुरस्कार, राष्ट्रीय बचत पत्र या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इसी प्रकार के किसी अन्य पत्र के रूप में दे सकेगी।

(ग) नियम 3 की श्रेणी 2(क) के अन्तर्गत पुरस्कार जीतने वाली हिन्दीतर भाषा में निर्मित फीचर फिल्म के निर्माता को उस के उप शीर्षक हिन्दी में करवाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

5. केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूर्वगामी कलेंडर वर्ष में प्रमाणित हुई सभी भारतीय फिल्में प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकेंगी। इस बात की घोषणा निर्माता या अन्य विधिवत् अधिकृत व्यक्ति संलग्न परिशिष्ट में दिए गए फार्म में करेगा।

पुरस्कार के लिए एक फिल्म नियम 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट श्रेणियों अर्थात् सर्वोत्तम फीचर फिल्म, राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म, सर्वोत्तम बाल फिल्म, सर्वोत्तम सूचना फिल्म, सर्वोत्तम शैक्षणिक फिल्म, सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म, सर्वोत्तम प्रयोगात्मक फिल्म, और सर्वोत्तम कार्टून फिल्म में से केवल एक ही श्रेणी में प्रविष्ट हो सकेगी।

6. (क) पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तिथि, जो भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी, तक आमंत्रित की जाएगी।

(ख) प्रत्येक प्रविष्टि इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए फार्म पर भेजी जाएगी और 35 मि० मी० में 1000 मीटर और 26 मि० मी० में 400 मीटर से अधिक लम्बी फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ 100 रुपए और उस से कम लम्बाई की फिल्मों की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ 50 रुपए की प्रविष्टि फीस भेजनी होगी। यह फीस वापिस नहीं की जायेगी।

(ग) प्रत्येक प्रवेशक निर्देशक, फिल्म समारोह निदेशालय, विज्ञान भवन एनेक्स, कमरा नं० 392, नई दिल्ली या दूसरे उस प्राधिकारी को जिसे निश्चित किया जाए, निम्नलिखित चीजें अपने खर्च पर भेजेगा :—

(1) इस प्रकार के प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय और स्थान पर केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म की एक प्रिंट,

(2) फिल्म की भाषा में उस के कथासार और स्क्रिप्ट की पांच-पांच प्रतियां तथा उनके अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की 40 प्रतियां, तथा यदि गीत हों तो फिल्म की भाषा में उनकी 5 प्रतियां तथा उन के अंग्रेजी या हिन्दी में भावानुवाद की 40 प्रतियां, तथा संबंधित प्रचार सामग्री सहित 6 फोटो।

(घ) कोई फिल्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि पाने के योग्य है या नहीं और कोई फिल्म फीचर फिल्म, राष्ट्रीय एकता संबंधी फिल्म, बाल फिल्म, सूचना फिल्म, शैक्षणिक फिल्म, प्रयोगात्मक फिल्म या सामाजिक फिल्म, प्रेरक फिल्म, कार्टून फिल्म है या नहीं, इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(ङ) यदि कोई फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रिटेक या रूपांतर है, जो पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राजकीय/राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रविष्ट हो चुकी हो, तो वह नियम 3·1(क) (1) से (4); 3·1(ट), (ठ) तथा (ड) के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के लिए प्रविष्टि की पात्र नहीं होगी । परन्तु वह निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, अभिनय, पार्श्व गायन, संगीत निर्देशन तथा गीत में सर्वोत्तमता से संबंधित श्रेणियों अर्थात् 3.1 (ख) से (ग) तक और (ङ) के लिए पात्र होगी ।

(च) यदि किसी फिल्म के कई भाषाओं में रूपांतर हों तो पुरस्कार के लिए उस फिल्म का केवल एक ही भाषा का रूपान्तर प्रविष्ट हो सकेगा ।

(छ) पुरस्कारार्थ प्रविष्टि के लिए बाल फिल्मों की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 3,400 मीटर या 16 मि० मी० में 1,360 मीटर होगी । नियम 3 की (2) और (3) श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाली फिल्म की अधिकतम लम्बाई 35 मि० मी० में 1000 मीटर या 16 मि० मी० में 400 मीटर होगी । परन्तु यह शर्त सूचना फिल्म (डाकुमेंट्री) पर लागू नहीं होगी ।

(ज) प्रविष्टि की अन्तिम तिथि में विशेष मामलों में भारत सरकार की मर्जी पर छूट दी जा सकेगी ।

(झ) ऐसी कोई भी फिल्म, जो राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट नहीं की गई हो, इन पुरस्कारों की पात्र नहीं होगी ।

7. फिल्म और प्रचार सामग्री के लाने, ले जाने पर जो खर्च होगा वह सारा प्रवेशक को देना होगा ।

8. सभी फिल्में मालिक के जोखिम पर भेजी जाएंगी और यद्यपि सरकार उन सभी फिल्मों समुचित संभाल करेगी, फिर भी उन के पास रखते समय किसी फिल्म के गुम हो जाने या खराब हो जाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी ।

9. पुरस्कारों का निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी और लघु फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी की सिफारिशों पर किया जायेगा । ये ज्यूरियां सरकार को अपनी सिफारिशें देंगी ।

10. फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी का गठन निम्नलिखित ढंग से होगा :—

(क) सरकार द्वारा नामजद एक अध्यक्ष ; और

(ख) कलाओं, मानव प्रकृतियों तथा फिल्मों क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त तथा प्रस्तुतीकरण, निर्देशन तथा तकनीकी मूल्यों सहित फिल्मों की विषय संबंधी तथा कलात्मक योग्यता को जांचने की योग्यता रखने वाले सरकार द्वारा नामजद अधिक से अधिक 24 व्यक्ति ।

11. अध्यक्ष प्रत्येक भाषा की फिल्मों की जांच करने के लिए फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्यों में से अधिक से अधिक तीन व्यक्तियों का एक पैनल गठित करेगा । यदि किसी विशिष्ट भाषा में प्रविष्टियों की संख्या तीन से कम होगी तो उस भाषा के लिए कोई अलग पैनल गठित नहीं किया जायेगा । उस दशा में, फिल्म (फिल्में) संबंधित प्रदेश की उस भाषा से मिलती जुलती दूसरी भाषा के वर्ग में रखी जायेंगी ।

12. प्रत्येक पैनल उपरि निर्दिष्ट फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के बिना श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख किए पुरस्कारों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली अधिक से अधिक 3 फीचर फिल्मों की सिफारिश करेगा । तथापि, यदि पैनल की राय में कोई विशिष्ट फिल्म उसके द्वारा जांची गई अन्य फिल्मों से नियम 3.1 (ख) से (ङ) तक के अन्तर्गत व्यक्तिगत सफलताओं के लिए नियत पुरस्कारों के लिए श्रेष्ठता रखती है, तो उस अवस्था में फिल्म के शीर्षक के साथ विशिष्ट श्रेणी भी निर्दिष्ट करनी होगी ।

13. नियम 3.1 (ढ) के अन्तर्गत बाल फिल्मों के लिए प्रविष्ट फिल्मों की जांच के लिए अध्यक्ष द्वारा उपरि उल्लिखित फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के सदस्यों में से अधिक से अधिक 3 सदस्यों का एक विशेष पैनल गठित किया जायेगा जो उक्त राष्ट्रीय ज्यूरी के बिना श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख किये गये अधिक से अधिक तीन फिल्मों की सिफारिश करेगा ।

14. तत्पश्चात् फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी विभिन्न भाषाई पैनलों और बाल फिल्मों सम्बन्धी पैनल द्वारा सिफारिश की गई सभी फिल्मों को देखेगी और नियम 3.1 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए फिल्मों की सिफारिश करेगी ।

15. **छोटी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी :—**

छोटी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी, जिसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे, सरकार द्वारा गठित की जायेगी जो सूचना फिल्मों (डाकुमेन्ट्री), शैक्षणिक फिल्मों, सामाजिक फिल्मों, प्रेरक फिल्मों (व्यावसायिक और अव्यावसायिक), प्रयोगात्मक और कार्टून फिल्मों की श्रेणियों के अन्तर्गत प्रविष्टियों की जांच करेगी । ज्यूरी सरकार को अपनी सिफारिश सीधी करेगी ।

16. नियम 10 और 15 के बावजूद सरकार दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों में से किसी में भी इतने अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर सकेगी, जितने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं कि जिन-जिन भाषाओं की फिल्मों की जांच होनी है, उन प्रत्येक भाषा के जानने वाले या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । किन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी ।

17. दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियां फिल्मों की जांच करने के लिए अपनी अपनी कार्यविधि स्वयं निश्चित करेंगी ।

18. दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों का कोरम नामजद सदस्यों या उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा ।

19. दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों के सदस्य नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य यात्रा और दैनिक भत्ते के अलावा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता से सम्बन्धित बैठकों में उपस्थित होने/फिल्मों के प्रिव्यू के लिए 50 रुपये प्रति दिन की दर से परामर्श फीस पाने के हकदार होंगे ।

20. इस नियमावली के नियम 3 (4) के अन्तर्गत भारतीय सिनेमा के निर्माण विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा जो अन्तिम होगा ।

21. इन नियमों में निहित कोई बात फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी और छोटी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय ज्यूरी के लिए यह सिफारिश करने में बाधक नहीं होगी कि किसी विशिष्ट भाषा या श्रेणी की फिल्मों में से कोई भी फिल्म या उनके द्वारा परखी गई फीचर फिल्मों का कोई भी स्क्रीन प्ले लेखक, कहानी लेखक, निर्देशक, कैमरामैन, अभिनेता, अभिनेत्री, बाल अभिनेता, पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और गीत लेखक पुरस्कार के लिए समुचित स्तर का नहीं है ।

22. सरकार को यह अधिकार होगा कि वह पुरस्कारों के लिए प्रविष्ट उस फिल्म की एक प्रिंट को जिसे पुरस्कार मिला हो, अपने पास रख सके । उस प्रिंट की लागत अर्थात् कच्चे माल की लागत और विधायन प्रसारों की निर्माता को प्रतिपूर्ति की जायेगी । प्रतिपूर्ति तभी की जायेगी जब प्रिंट बिल्कुल नई दी जायेगी ।

23. यदि निर्देशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म या द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म या राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म और प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म का भी निर्देशक होगा तो वह केवल एक ही रूप में अधिक नकद राशि वाला पुरस्कार ही प्राप्त करेगा ।

24. यदि किसी पुरस्कृत फिल्म का निर्माता और निर्देशक एक ही व्यक्ति हो और वह दोनों रूपों में पुरस्कार का पात्र हो तो उसको पुरस्कार या तो निर्माता के रूप में मिलेगा या निर्देशक के रूप में, दोनों के रूप में नहीं ।

25. पुरस्कार के लिए प्रविष्ट फिल्म के निर्देशक को फिल्म को राष्ट्रीय ज्यूरियों या उनके किसी भी पैनल को सार्वजनिक शो में या ऐसे किसी अन्य विशिष्ट शो में जो सरकार द्वारा आयोजित किया जाए, दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि इससे कोई आय होगी तो वह सरकार के राजस्व में जमा करवाई जायेगी ।

26. दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों के सदस्य ज्यूरी की बैठकों की कार्रवाई और सिफारिशों को गोपनीय समझेंगे ।

27. यदि किसी प्रविष्ट फिल्म के पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी होगी तो वह पुरस्कार के अयोग्य ठहरा दी जायेगी । यदि दोनों राष्ट्रीय ज्यूरियों का कोई भी सदस्य किसी विशिष्ट फिल्म के लिए पैरवी करता हुआ पाया गया तो वह ज्यूरी की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा ।

28. पुरस्कारों और इन नियमों के सही मतलब का जहां तक सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के निर्णय अन्तिम होंगे और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।

29. पुरस्कार, प्रतिवर्ष पुरस्कार वितरण समारोह में दिये जायेंगे जिस की तिथि और जगह सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

30. जो व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में भाग लेगा तो यह समझा जाएगा कि उसने ये नियम मान लिए हैं ।

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नियमों का परिशिष्ट

सेवा में,

निदेशक,
फिल्म समारोह निदेशालय,
विज्ञान भवन अनेक्स (कमरा नं० 392),
नई दिल्ली ।

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि

1. मैं वर्ष 1973 के लिए फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारार्थ निम्नलिखित फिल्म प्रविष्ट कर ना चाहता हूं :—

(1) फिल्म का नाम :

(2) वर्गीकरण; फीचर/बाल चित्र/डाकुमेन्ट्री/शैक्षणिक/सामाजिक/प्रेरक (विज्ञापन)/प्रेरक (अव्यावसायिक)/प्रयोगात्मक/कार्टून फिल्म ।

(3) फिल्म की भाषा :

(4) फिल्म की लम्बाई, गेज और समय :

(5) रीलों की संख्या :

(6) सादी/रंगीन

(7) सेन्सर प्रमाण-पत्र में फिल्म का वर्गीकरण 'ए' है या 'यू':

(8) निर्माता का नाम और पूरा पता (यदि टेलीफोन नं० और तार का पता हो तो वह भी देवें):

(9) निर्देशक का नाम और पूरा पता :

(10) कहानी लेखक का नाम और पूरा पता :

(11) स्क्रीन प्ले लेखक/स्क्रिप्ट लेखक का नाम और पूरा पता :

(12) (क) नायक और नायिका के नाम और पूरे पते :

(ख) यदि 16 वर्ष से कम का कोई बाल अभिनेता हो तो उसका नाम और पूरा पता :

(13) पार्श्व गायक का नाम और पूरा पता :

(क) पार्श्व गायक :

(ख) पार्श्व गायिका :

(14) कैमरामैन का नाम और पूरा पता :

(15) संगीत निर्देशक का नाम और पूरा पता :

(16) गीतकार का नाम तथा पूरा पता :

(17) केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन-प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख :

(18) रिलीज होने की तारीख :

(19) यदि फिल्म किसी दूसरी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक है, तो जिस फिल्म का वह डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक है, उसका ब्यौरा :

2. मैंने इन पुरस्कारों सम्बन्धी नियमों को पढ़ लिया है और मैं उनके पालन करने के लिए सहमत हूं ।

3. मैं घोषणा करता हूं कि मैं यह प्रविष्टि भेजने के लिए फिल्म के निर्माता द्वारा विधिवत् अधिकृत हूं (यह घोषणा उस हालत में करनी है जब प्रविष्टि भेजने वाला व्यक्ति निर्माता न हो)।

4. मैं प्रमाणित करता हूं कि यह फिल्म किसी ऐसी फिल्म का डब किया हुआ रूप, रूपान्तर या रिटेक नहीं है जो पहले किसी राजकीय/राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्ट हो चुकी हो, और प्रविष्टि के रूप में जो प्रिंट भेजी जा रही है, वह ठीक उसी रूप में है जिसमें वह केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित की हुई है ।

5. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है ।

हस्ताक्षर :

तारीख :

स्थान :

पता :———————

———————

———————

नोट : जहां भी कोई सूचना देनी है, वह वही होनी चाहिए जो फिल्म के नामोल्लेख में हो । फिल्म का नाम और प्रोड्यूसरों निर्देशकों और तकनीशियनों, आदि के नाम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में दिये जाने चाहिए ।

जगत मुरारी, निदेशक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974